

- 57 -
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या -35/2023
अमरनाथ बनाम् राज्य

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

15/03/24

-:: आदेश ::-

अभिलेख उपस्थापित। इस वाद की कार्रवाई उप परामर्शी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्राक-1505/व०प०, दिनांक-30.05.2022 के द्वारा प्राप्त विद्वान पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा इस न्यायालय के राज्यसात अपील वाद संख्या-30/2018 के रिवीजन वाद संख्या-12/2019 में दिनांक-24.05.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ किया गया। उन्होंने वाद को रिमांड करते हुए निदेश दिया है कि उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए पुनः जाँच करते हुए आदेश पारित करेंगे। इसके आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि ट्रक रजि० नं०-BR-01GB-2848 दिनांक-05.12.2017 को रैलीगडा कोलियरी परियोजना में प्रवेश किया जहाँ उसका तौल हुआ एवं गाड़ी पर कोयला लोड किया गया परन्तु तकनीकी गडबडी के कारण परियोजना से संबंधित कागजात नहीं मिलने के कारण दिनांक-11.12.2017 तक गाड़ी परियोजना में ही रूकी रही। कोलियरी में गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण कोलियरी से सभी गाड़ियों को दिनांक-11.12.2017 को संध्या 6:20 बजे के बाद अपने सुविधानुसार बाहर रखने को कहा गया इसी क्रम में उपरोक्त मेरे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को डेमोटॉड में किनारे खडा कर दिया था एवं कोलियरी से 'फार्म डी' मिलने का इंतजार कर रहा था जो कोलियरी से 15.12.2017 को रात्रि में अनुमण्डलाधिकारी, हजारीबाग एवं सहायक खनन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा गाड़ी को पकड लिया गया ड्राइवर द्वारा Tax Invoice F4474425 जिसे कोलियरी के Security Authority के द्वारा 11.12.2017 को संध्या 6:20 pm में निर्गत किया गया है। M/s Laxmi Enterprises द्वारा निर्गत Sale Order एवं Weightment Slip Religara Dt 05.12.2017 दिखाया गया एवं यह बताया गया कि 'फार्म डी' के इंतजार में गाड़ी यहाँ खडा किये है एवं दिनांक-15.12.2017 को निर्गत 'फार्म डी' भी सूचक को दिखाया गया परन्तु सूचक द्वारा प्रस्तुत कागजातों के संदर्भ में बिना जाँच किये कोयला सहित लदे ट्रक को जप्त कर मुफ्फसिल थाना को सुपुर्द किया गया जहाँ सूचक के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या-289/2017 राज्य बनाम् मालिक एवं चालक गाड़ी संख्या-BR01GB2848 एवं अन्य दर्ज किया गया। इस प्रकार वाहन में लदा

हुआ कोयला नियमसंगत है। उन्होंने राज्यसात की कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वाहन में लदा कोयला से संबंधित कागजात संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए पूर्व में पारित आदेश नियमानुकूल है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के द्वारा किये गये बहस तथा निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख राज्यसात वाद संख्या-154/2018 राज्य बनाम ट्रक संख्या-BR-01GB-2848 के स्वामी में दिनांक-30.10.2018 को पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रक संख्या-BR-01GB-2848 में लदा कोयला से संबंधित कागजात संदिग्ध प्रतीत होता है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक-06.03.2019 एवं निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक-30.10.2018 के द्वारा विधिवत् प्रक्रिया के तहत आदेश पारित किया गया। जिससे असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्यवाही बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अग्रेतर कार्यवाही हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chanday
15/03/24
उपायुक्त
रामगढ़।

Chanday
15/03/24
उपायुक्त
रामगढ़।